केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर प्रधान आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS AND SERVICE TAX हैदराबाद - I आयुक्तालय : : एल॰ बी॰ स्टेडियम रोड : : बशीरबाग

HYDERABAD I COMMISSIONERATE :: L.B.STADIUM ROAD :: BASHEERBAGH

हैदराबाद - 500 004.HYDERABAD - 500 004.

स्थापना आदेश सं॰ESTABLISHMENT ORDER (N.G.O) No. 47 /2017

दिनांक Date: 21.6.2017

विषय:- स्थापना – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के हवलदार संवर्ग में खेल कोटा पर नियुक्ति एवं पदस्थापना– संबन्धित ।

Sub: Estt. - Appointment and Posting in the cadre of Hawaldar of Central Excise under Sports quota - Regarding.

*****

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, हैदराबाद/ विशाखापटनम अंचल के अंतर्गत सामान्य संवर्ग में खेल कोटा पर निम्नलिखित उम्मीदवारों को हवलदार के रूप में वेतन बैंड-1 रु. 5200-20,200/- व ग्रेड वेतन रु. 1800/-(लेवल-I, 7 सीपीसी), सीसीएस(संशोधित पे) नियम 2008 के अनुसार तथा समय समय पर देय अन्य भत्तों सहित अस्थायी तौर पर तथा अगला आदेश होने तक के लिए नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति उनके ड्यूटी पर लिए जाने की तिथि से प्रभावी होगी

1. राजा रावत
2. रजत श्रीवास्तवा
3. आर आर साई राकेश
4. नामा हरीश
5. बिट्टू
6. ई एन कोटेश्वर राव
7. गुग्गिल्लापु नरेंद्र बाबू
8. कुमारू हरी बाबू
9. गोरीपारथी श्रीकान्थ

The following candidates selected for the post of Hawaldar of Central Excise in the Hyderabad Zones are hereby appointed as Hawaldar under sports quota temporarily and until further orders in the Pay Band - 1 Rs.5200-20,200/- plus Grade Pay of Rs.1800/-(Level-1 of 7th CPC) as per CCS (Revised Pay) Rules, 2008 plus allowances as admissible from time to time. Their appointment shall take effect from the date on which they assume to duty.

1. Raja Rawat
2. Rajat Shrivatsava
3. R.R Sai Rakesh
4. Nama Harish
5. Bittu
6. E.N Koteshwar Rao

7. Guggillapu Narendhara Babu
8. Kumaru Hari Babu
9. Goriparthi Srikanth

2. उम्मीदवार केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क विभाग के केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के तहत नियंत्रित होंगे।

The candidates will be governed by the provisions of the Central Excise and Customs Department CCS (Conduct) Rules, 1964.

3. उम्मीदवार ड्यूटी पर लिए जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के अधीन रखा जाएगा। उनका हवलदार संवर्ग में बनाए रखने/ स्थायीकरण उनके द्वारा परिवीक्षा की अवधि को सफलता पूर्वक पूरा कर लेने पर निर्भर करेगा।

The candidates will be kept on probation for a period of two years from the date on which they have join to duty. Their retention / confirmation in the cadre of Hawaldar will depend upon his successful completion of the probation period.

4. आंध्र प्रदेश राज्य के हैदराबाद/ विशाखापटनम अंचल के हवलदार के सामान्य संवर्ग में उनकी अन्तः वरीयता लागू आदेशों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

Their seniority in the cadre of Hawaldar in Hyderabad Zone will be fixed according to the orders in force.

5. उम्मीदवारों को तेलंगाना/आन्ध्रप्रदेश के कैडर नियंत्रण अधिकार क्षेत्र में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में तेलंगाना/आन्ध्रप्रदेश के बाहर किसी अन्य आयुक्तालय में उनकी नियुक्ति के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

The candidates are liable to be transferred anywhere within jurisdiction of Telangana at any point of time. Under no circumstances the request for posting to any other Commissionerate outside Telangana will be entertained.

6. उम्मीदवार जब भी अपनी धार्मिक मान्यता को बदलें उन्हें अपने नियोक्ता को सूचित करना होगा।

The candidates should intimate the appointing authority as and when they changes his religious faith.

7. उम्मीदवार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के गज़ट में प्रकाशित, असाधारण, भाग- I धारा- I, दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना सं॰ 5/7/2003-ECB & PR दिनांक- 22.12.2003 के अंतर्गत दी गई पेंशन योजना के दिशा निर्देशों के तहत नियंत्रित होंगे। यह स्थायी सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो पुनः पद नियुक्ति पर केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 26(2) के अंतर्गत तकनीकी त्यागपत्र प्रस्तुत करते हुए पद ग्रहण करता है।

The candidates will be governed by the New Pension Scheme as notified vide Government of India, Ministry of Finance, Notification No.5/7/2003-ECB & PR dated 22.12.2003 – published in Gazette of India, Extraordinary, Part I – Section 1, dated 22.12.2003. This will not apply to a permanent Government servant who joins the post on tendering Technical resignation under Rule 26(2) of CCS (Pension) Rules, 1972 on reappointment to the post.

8. यदि उम्मीदवारों ने रोजगार के लिए किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पहले से ही आवेदन किया हो/ बैठा हो, तो उन्हे कार्यभार ग्रहण करते समय सूचित करना होगा। अन्य सरकारी /या कोई और कार्यालय में उनकी नियुक्ति के लिए किसी भी आवेदन को अग्रेषित करने या रोकने का पूरा अधिकार विभागाध्यक्ष के पास सुरक्षित है।

The candidates should also intimate at the time of reporting for duty, if they had already applied / appeared in any other competitive examination for employment. The Head of the Department has full discretion to forward or withhold any of their applications for appointment to other Government Offices or elsewhere.

9. यदि उम्मीदवार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या भारत सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले या नियंत्रित कोई उपक्रम /कोई स्वतंत्र निकाय /विश्वविद्यालय /स्थानीय निकाय में कार्यरत हों तो उसे संबन्धित नियोक्ता से उचित कार्यमुक्ति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

If the candidates are employed with Central/State Government / an Undertaking owned by or controlled by the Government of India or a State Government / an autonomous body / University / local body, they should produce proper relief report from the employer concerned.

10. यदि उम्मीदवार पद त्यागने का इच्छुक है तो उसे इस इरादे के बारे में 1 माह पहले नोटिस देना होगा तथा अधिकार क्षेत्र वाले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, व सेवा कर आयुक्त से लिखित अनुमति अवश्य प्राप्त करनी होगी। ऐसा करने में चूक होने पर वह प्रासंगिक नियमों में उल्लिखित अर्थ दंड/ दंड के योग्य होंगे।

If candidates desires to resign, they should give one month notice in advance about their intention to do so and must obtain written permission from the jurisdictional Commissioner of Customs, Central Excise & Service Tax. Failure to do so will render them liable to the penalties prescribed in the relevant rules.

11. यदि उम्मीदवारों के पास कोई रोजगार नामांकन कार्ड (X॰10) है, तो उसे संबन्धित नियोक्ता/ प्रशासनिक प्राधिकरण को लौटाना होगा।

The candidates should surrender his Employment Registration Card (X.10) held if any, to the Appointing / Administrative authority concerned, at the time of reporting for duty.

12. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के हवलदार के रूप में नियुक्ति के फलस्वरूप उन्हे हैदराबाद अंचल आवंटित किया जाता है।

Consequent on their appointment as Hawaldar of Central Excise, they have been allotted to **Hyderabad Zone.**

13. यदि उम्मीदवारों को उपर्युक्त नियुक्ति आदेश के नियम व शर्तें स्वीकार हो तो हैदराबाद-I आयुक्तालय के अपर आयुक्त(का.व.स) के समक्ष दिनांक 21.07.2017 को या उससे पहले कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि वह निर्धारित समय पर या उससे पहले कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उन्हें सूचित किए बिना उनकी नियुक्ति आदेश को रद्द समझा जाएगा। उन्हे तैनाती स्थल पर कार्यग्रहण हेतु कोई भी यात्रा व अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

The candidates should report for duty before the **Additional Commissioner(P&V) of Hyderabad-I Commissionerate on or before 21.07.2017,** if the above terms and conditions of appointment order are acceptable to them. If they fail to report for duty on or before the stipulated date, this appointment order will be treated as cancelled without making any further reference to him. No traveling or any other allowance will be admissible to him for joining at the place of posting.

ह

(V.VASUDHA PRASADA RAO)
संयुक्त आयुक्त (का. व. स.)
JOINT COMMISSIONER(P&V)

(फ़ाइल Issued from File C.No.II/31/1/2015 से जारी)

प्रति To

Individuals

स्पीड डाक द्वारा **// BY SPEED POST WITH ACK DUE //**

प्रतिलिपि अग्रेषित मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद अंचल
Copy submitted to the Chief Commissioner, Customs, Central Excise & Service Tax, Hyderabad Zone.

प्रतिलिपि अग्रेषित Copy to:

1. अपर आयुक्त(का.व.स)/ अपर आयुक्त (सीसीओ) सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा हैदराबाद/विशाखपतनम अंचल।
Additional Commissioner(P&V)/The Additional Commissioner(CCO) Customs, Central Excise & Service Tax Hyderabad/Vishakhapatnam.

2. मुख्य लेखा अधिकारी।/ वेतन तथा लेखा अधिकारी/ सहायक मुख्य लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, सेवा हैदराबाद
The CAO/PAO/ACAO/AO,Customs,CentralExcise & Service Tax Hyderabad.

3. स्टॉक फ़ाइल The Stock File.

Shailaja 21/6/17

(D.SHAILAJA REDDY)
प्रशासनिक अधिकारी (स्था.)
ADMINISTRATIVE OFFICER(Estt)